

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस  
अपील संख्या एलआरए/205/2016

**उनवान**

1. शंकर सिंह पिता राम सिंह राणावत निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
2. उच्छबकंवर पत्नि शंकर सिंह राणावत निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

**बनाम**

1. घीसू आत्मज बलदेव खाती निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
2. भंवर पिता हरदेव खाती निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
3. सम्पत पिता हरदेव खाती निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
4. रामचन्द्र पिता हीरा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
5. भागीरथ पिता रतना बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
6. भैरू पिता चन्द्रा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
7. छोटू पिता मांगू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
8. भंवर पिता मांगू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
9. नानाराम पिता सुखा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा



भू प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
भीलवाडा

10. मदन पिता रामा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
11. घीसू पिता उगमा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
12. दूदाराम पिता अर्जुन गुर्जर निवासी डियास, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
13. श्रवण पिता भैरू गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
14. महादेव पिता मांगू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
15. महावीर पिता मांगू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
16. देबीलाल पिता सुखा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 33/2013 निर्णय एवं दिनांक 15.10.2014

अधिवक्तागण :-

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रमेश चेचाणी, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 16
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता निर्णय

दिनांक 29.8.2018



1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम

15/34  
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
भीलवाडा

1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम डियास के निवासी होकर ग्राम डियास आराजी नम्बर 632/1210 के अलग-अलग हिस्सो पर पिछले 30-40 वर्षों से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी का रकबा बड़ा होकर दिनांक 18.2.2013 को आवंटन सलाहकार समिति ने मनमाने, अवैध एवं विधिविरुद्ध तरीके से विपक्षी संख्या 1 को 0.50 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है जो निरस्त योग्य है। क्योंकि आराजी नम्बर 632/1210 के अलग-अलग हिस्से पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का है तथा प्रार्थीगण ही प्रश्नगत आराजी भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत समय-समय पर कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण की पात्रता होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति ने उनके आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य 35 ग्रामवासियान के पक्ष में भूमि आवंटन करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। बिना मौका निरीक्षण, मौका स्थिति के विपरीत पटवारी हल्का की गलत व कांट-फांस की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया, जो गलत होकर अपास्त योग्य है। आवंटन दिनांक 18.2.2013 को आवंटन सलाहकार समिति ने करीब 175 आवंटन किये है जिनमें प्रार्थीगण की कब्जेसुदा आराजी नम्बर 632/1210 में 36 व्यक्तियों को किये गये अवैध आवंटन के निर्णय पर सरपंच ग्राम पंचायत ने विरोध स्वरूप किसी भी निर्णय पर हस्ताक्षर दर्ज नहीं किये हैं। भू आवंटन एक ही परिवार के सदस्यों एवं कमेटी के सदस्यों के मिलने वालों को किया गया है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण की फसल काश्त है एवं आवंटित भूमि का कब्जा भी आवंटी को सिपुर्द नहीं किया गया है एवं न ही राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज भी किया गया है। आवंटन सूची


भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
भीलवाड़ा




की क्रम संख्या 34, 53, 58 एवं 62 पर अंकित आवंटी एक ही परिवार के सदस्य हैं इसी प्रकार नॉन कमाण्ड क्षेत्र की आवंटन सूचि में क्रम संख्या 4, 23, 38 एवं 39 पर अंकित आवंटी ही उपरोक्त आवंटियों के परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार नॉन कमाण्ड आवंटन सूचि में क्रम संख्या 18, 26, 29, 32, 38 एवं कमाण्ड क्षेत्र की आवंटन सूचि के क्रम संख्या 51, 57, एवं 65 पर अंकित आवंटी सभी एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। इस प्रकार एक ही परिवार के 8-8 व्यक्तियों को अलग-अलग आवंटन करने में आवंटन सलाहकार कमेटी ने भारी अवैधानिकता की है। आवंटन सूचि की क्रम संख्या 28, 29, 37, 52, 55, व 67 पर अंकित आवंटी ग्राम डियास के निवासी नहीं है। क्रम संख्या 34 का आवंटी जिला अजमेर का निवासी है तथा क्रम संख्या 50 की आवंटी ग्राम देवरिया की निवासी है। ग्राम डियास में इन आवंटियों को आवंटन की कार्यवाही अवैध एवं विधिविरुद्ध है। यह भी निवेदन किया कि पूर्व में आवंटियों को खातेदारी हक प्रदान नहीं कर पुनः भूमि आवंटन करने में आवंटन सलाहकार समिति ने गंभीर त्रुटि की है। उक्त आधार पर विपक्षी को किया गया आवंटन विधि एवं नियमों के प्रतिकूल होने व आवंटन नियमों की पालना नहीं होने से अपास्त योग्य बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को ग्राम डियास की आराजी नम्बर 632/1210 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।



  
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी/विपक्षी ने कार्यवाही हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया एवं वर्ष 2014 में अकाल पड जाने से मजदूरी करने, कमा खाने के लिए बाहर चले गये। जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलार्थीगण वापस दिनांक 20.7.2016 को आये एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी मिली। जिस पर 22.7.2016 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 26.7.2016 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।
5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून एवं वाकियात के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा अंकित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अपने निर्णय में विवेचन नहीं किया है एवं कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।
6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को किया गया आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी के खाते में पहले से ही 1.00 हेक्टेयर सिंचित भूमि एवं 0.73 हेक्टेयर असिंचित भूमि है जिसे नियमानुसार दुगुना करने

  
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 भीलवाड़ा



पर 2.73 हेक्टेयर बनता है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास पर्याप्त भूमि होकर वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अपीलार्थी आवंटन की पात्रता नहीं रखता है जो सरासर गलत है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 12 के अनुसार 10 एकड़ भूमि यानि 16 बीघा से कम भूमि धारण करने वाला व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी के खाते में जो भूमि बताई गई है उसका रकबा लगभग 8 बीघा ही बनता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियमों का पूर्ण विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को जिस आराजी नम्बर 632/1210 में से भूमि का आवंटन किया गया है वह बहुत बड़ा रकबा है इसमें से 35 व्यक्तियों को अलग-अलग आवंटन करने के बावजूद 7 हेक्टेयर भूमि शेष बचती है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का पिछले 30-40 वर्षों से आवंटित भूमि पर कब्जा होने का तथ्य गलत है। अपीलार्थी ने आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर नहीं कराया है। आवंटन कमेटी ने विधिवत जांच कर आवंटन किया गया है। अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होकर उसका परिवार कृषि पर ही आश्रित है।
8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटन कमेटी द्वारा इस आराजी पर कब्जेधारियों को ही आवंटन किया गया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर



  
**भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं**  
**पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी**  
**भीलवाड़ा**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम डियास की आराजी नम्बर 632/1210 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि के किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1968 पेज 48, आर बी जे 2002 पेज 608, आर बी जे 2002 पेज 381, आर बी जे 2002 पेज 304, आर बी जे 2002 पेज 191 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानते हुए स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 16 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम डियास की आराजी नम्बर 632/1210 के अलग-अलग हिस्से पर प्रत्यर्थीगण का पिछले लम्बे अर्से से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण का वादग्रस्त आराजी नम्बर 632/1210 पर कब्जाकाश्त होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत समय-समय पर कार्यवाही की गई है। आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलार्थी एवं अन्य 35 ग्रामवासियान के पक्ष में भूमि आवंटन करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । आवंटित भूमि का कब्जा कभी भी अपीलार्थी/आवंटी को सिपुर्द नहीं किया गया है एवं न ही राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज ही किया गया है। विधिविरुद्ध आवंटन किये जाने से सरपंच ग्राम पंचायत ने विरोधस्वरूप हस्ताक्षर नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ



15/3/16  
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 भिलवाड़ा

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार था। इस तथ्य की पुष्टि करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति ने विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलार्थी को किया था। आवंटन के पश्चात से आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की है उसके द्वारा आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर, छल कपट या मिथ्यादुर्व्यपदेशन कर नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया । तहसीलदार फूलियाकलों की कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रश्नगत आराजी खाली, फसल रहित है। उक्त आराजी के कुछ भाग में मेडबन्दी, जुताई एवं फसल के डंठल मौके पर मौजूद है। मौके पर 34 व्यक्तियों का कब्जा होकर आवंटन कमेटी द्वारा इन्ही कब्जाधारियों में से भूमि का आवंटन किया है। अपीलार्थी को जिस आवेदन पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है । उक्त आवेदन पत्र में अंकित पटवारी की रिपोर्ट में आवंटित रकबे में कांट-फांस की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम डियास में आवंटी/अपीलार्थी के पास आवंटन से पूर्व 1.00 हेक्टेयर सिंचित एवं 0.73 हेक्टेयर असिंचित भूमि पहले से ही उसके खाते में अभिलिखित है ,सिंचित भूमि को नियमानुसार डबल करने पर 2.73 हेक्टेयर होना पाया जाता



*B.S.*  
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 मीलवाड़ा

है। जिससे अपीलार्थी वक्त आवंटन भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बावजूद अपीलार्थी ने आवेदन पत्र में गलत तथ्य अंकित कर वादग्रस्त भूमि का अपने नाम आवंटन कराया है। जो नियमों के विरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2014 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।



भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, भिलवाड़ा  
29/8/18